न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्वत (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 88 / 2024

अनवान : –

1. ओमप्रकाश पुत्र सुणाराम जाति जाट निवासी राणीसर तहसील नोहर।

– प्रार्थीगण

बनाम्

1. सुणाराम पुत्र गिरधारी जाति जाट निवासी राणीसर तहसील नोहर।
2. मांगीलाल पुत्र सुणाराम जाति जाट निवासी राणीसर तहसील नोहर।
3. सुनीता पुत्री सुणाराम जाति जाट निवासी राणीसर तहसील नोहर।
4. विद्या पुत्री सुणाराम जाति जाट निवासी राणीसर तहसील नोहर।
5. शारदा पुत्री सुणाराम जाति जाट निवासी राणीसर तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
7. पंजीयक कार्यालय खुंईया तहसील नोहर।

– अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा</u>
<u>अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.</u>

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **सायल**

<u>निर्णय</u> दिनांकः 23/12/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा खुईया तहसील नोहर के खाता स0 385 / 368 की कुल 7.6660 हैक्ट भूमि में से 1708 / 3833 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा राणीसर तहसील नोहर के खाता स0 200 / 197 की कुल 4.7930 हैक्ट भूमि अप्रार्थी सं0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त कृषि भूमि गैरसायल स0 1 के नाम बतौर कर्ता हिन्दु खान दान दर्ज है एवं गैरसायल स0 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें सायलान का जन्म से हक हिस्सा है है यानि बाई बर्थ राईट है। इसलिए सायल अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

वाद भूमि गैरसायलान के नाम बतौरकर्ता हिन्दु परिवार गलत दर्ज होने से सायल को उसके हक व हिस्सा से महरूम करना चाहते है तथा गैरसायल उक्त वाद भूमि को रहन, बैय करना चाहते है जिससे सायलान को अपूर्णीय क्षति होगी अतः अप्रार्थीगण के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें की जब तक वाद का निस्तारण न हो तब तक मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने [illegible] रोही मौजा खुईया तहसील नोहर के खाता स0 385 / 368 की कुल 7.6660 [illegible] 1708 / 3833 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा राणीसर तहसील नोहर के [illegible] की कुल 4.7930 [illegible] भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थी स0 1 इस आश[illegible] की जारी की गई कि [illegible] र्थी स0 1 उक्त वाद भूमि भूमि के मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 17:53:40 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अप्रार्थीगण को विधिवत सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी अप्रार्थीगण उपस्थित नही अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

बहस अधिवक्ता वकील प्रार्थी सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का अवलोकन किया।

हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते हैः—

1. प्रथम दृष्टया मामला :— प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वाद पत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से विश्वास करने का प्रर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त अराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया अराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हों, इस का अर्थ यह नही है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जावें क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

प्रार्थी का कथन है कि उक्त भूमि पैतृक भूमि है जिसमें प्रार्थी का जन्मजात हक हिस्सा है लेकिन अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के मुताबिक रोही मौजा राणीसर तहसील नोहर के खाता स0 200/197 की कुल 4.7930 हैक्ट भूमि में अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज भूमि पूर्व में प्रार्थी के पूर्वजों के नाम रही है अर्थात उक्त भूमि पैतृक है जबकि रोही मौजा खुईया तहसील नोहर के खाता स0 385/368 की कुल 7.6660 हैक्ट भूमि में से 1708/3833 हिस्सा भूमि बाबत अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है जिससे की रोही मौजा खुंईया की भूमि पैतृक भूमि होना साबित हो उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि रोही मौजा राणीसर तहसील नोहर के खाता स0 200/197 की कुल 4.7930 हैक्ट भूमि में अप्रार्थी स0 1 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित है जबकि रोही मौजा खुईया तहसील नोहर के खाता स0 385/368 की भूमि हेतु अप्रार्थी स0 2 को पाबन्द किया जाना उचित नही है। हस्तगत प्रकरण में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय में विचाराधीन है, वादग्रस्त भूमि को पैतृक, मौरूसी एवं स्वअर्जित सम्पति होना और पक्षकारों का वादग्रस्त भूमि में हक निर्धारण होना शेष है जो मूल वाद में साक्ष्य उपरान्त ही निर्धारित हो सकेगा और स्पष्टतः विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य है और जहां विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य हो वहां रिकार्डेड खातेदार को भी निषिद्ध किया जा सकता है ताकि भविष्य में वाद बाहुल्यता को रोका जा सकें। अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में आंशिक साबित होता है।

2. <u>सुविधा का सन्तुलन</u>— सुविधा के सन्तुलन से तात्पर्य है कि यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जाती है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या अप्रार्थी को। प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी स0 1 विवादित अराजी का काश्तकार है परन्तु पैतृक भूमि होने के कारण प्रार्थी का भी वादग्रस्त भूमि में जन्मजात हक व हिस्सा है।। प्रार्थी का अप्रार्थी0 1 के विरूद्ध दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया हुआ है। प्रथम दृष्टया मामला भी प्रार्थी के पक्ष में आंशिक साबित होता है। न्यायालय के अभिमत में यदि रोही मौजा राणीसर तहसील नोहर के खाता स0 200/197 की कुल 4.7930 हैक्ट भूमि में अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज भूमि को बैय की जाती है तो प्रार्थी को असुविधा होगी क्योंकि जबकि

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 17:53:40 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

रोही मौजा खुईया की भूमि को रहन, बैय करने से प्रार्थी को कोई असुविधा नही होगी। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में आंशिक साबित होता है।

3. अपूर्णीय क्षति– अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक तात्विक क्षति से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नही की जा सकती। चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थी एवं अप्रार्थी का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वाद विचाराधीन है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में आंशिक साबित होता है अतः अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थी को आंशिक होगी।

अतः न्यायालय का विनम्र मत है कि प्रार्थीगण के पक्ष में तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति आंशिक साबित होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट आंशिक स्वीकार किया जाना विधिसंगत समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा आंशिक साबित होने के कारण आंशिक स्वीकार किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी स0 1 इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि रोही मौजा राणीसर तहसील नोहर के खाता स0 200/197 की कुल 4.7930 हैक्ट भूमि अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज है, में प्रार्थी के हक व हिस्से की हद तक न्यायालय हाजा में विचाराधीन वाद का निस्तारण होने तक वादग्रस्त भूमि की यथास्थिति बनाये रखे एवं रोही मौजा खुईया तहसील नोहर के खाता स0 385/368 की कुल 7.6660 हैक्ट भूमि में से 1708/3833 हिस्सा भूमि में दिनांक 06.05.2024 को जारी की गई अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली इस कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक.....23/12/25.....मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul.
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 17:53:40 IST
Reason: SelfAttested